न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस.

सुनवाई का अधिकार द्वितीय अपील संख्या 01/2021

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
श्री ईश्वरसिंह पुत्र रणजीतसिंह राठौड निवासी– थुम्बा,पोस्ट पादरली, वाया–गुढा, तहसील आहोर, जालोर।		1.अधिशाषी अभियन्ता, एवं लोक सुनवाई अधिकारी, जवाई नहर खण्ड, जलसंसाधन विभाग, सुमेरपुर जिला पाली। 2.प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, जालोर

द्वितीय अपील राजस्थान सुनवाई का अधिकार, 2012 की धारा 06 के तहत जो कि जिला कलेक्टर जालोर प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 15.06.2021 से व्यथित होकर पेश की गई है।

निर्णय

दिनांक दिसम्बर ,2021

1. अपीलान्ट की ओर से यह द्वितीय अपील राज0 सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के तहत जिला कलेक्टर जालोर के द्वारा प्रथम अपील संख्या 01/2021 में पारित निर्णय दिनांक 15.06.2021 के विरूद्ध दिनांक 22.07.2021 को इस कार्यालय को प्रेषित की गई है।

2. उक्त अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टस को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। जिस पर रेस्पो0 संख्या एक की ओरसे अपील पर अपनी ओर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन टिप्पणी इस कार्यालय को प्रेषित किये गये जो संलग्न पत्रावली किये गये

3. दिनांक 29.11.2021 को अपीलान्ट स्वयं उपस्थित हुए तथा रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उनके प्रतिनिधी उपस्थित हुए। अपीलान्ट ने अपनी द्वितीय अपील में न्यायालय हाजा के द्वारा प्रथम अपील संख्या 02/2020 में पारित निर्णय दिनांक 8.9.2020 के अन्तर्गत विधि की अवहेलना होने पर परिवाद पेश किया जिसमें निर्णय में वर्णित बिन्दू संख्या 8 में ''उपरोक्त सभी तथ्यों पर गौरकरने के उपरानत अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में हमारा विनम्र मत यह है कि अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा अपीलान्ट की प्रथम

अपील के प्रथम बिन्दू अनुसार पूर्व अपील संख्या 01/2018 में पारित विनिश्चिय की पूर्ण पालना करने हेतु अधिक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत पाली को पुनः निर्देशित किया जाता है।''

4. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि उक्त निर्णय की पालना बाबत जल उपयोक्ता संगम–12 तखतगढ नहर क्रमांक डबलूयूए 12/जेएडब्लू/2020–21/22–22 दिनांक 24.10.2020 द्वारा अभिलेखों में समक्ष तकनीकी स्वीकृति की पालनार्थ कार्यालय जवाई नहर खण्ड सुमेरपुर के पत्रांक 161 दिनांक 17.5.2013 तखतगढ नहर आरडी 70600 सीटी को तकनीकी व भौतिक सत्यापन करने हेतु अनुरोध किया गया था। जिसके पश्चात जवाईनहर खण्ड सुमेरपुर द्वारा दिनांक 31.10.2020 को प्रस्तावित बाराबंदी सूची अनुमोदन हेतु जलसंसाधन संगम–12 को प्रस्तुत की गई जिसमें डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.11.2018 व दिनांक 08.09.2020 की पालना करते हुए बारांदी सूची राज्य सरकार द्वारा गजट के अन्तर्गत नहरी भूमि वर्ग का अनुमोदन स्वीकार किया गया है और गजट के अन्तर्गत जो नहरी भूमि नही है उसका अनुमोदन अस्वीकार करते हुए बाराबंदी जारी की गई थी।

5. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि तखतगढ नहर कर आरडी 70600 सीटी जो अभिलेखों में तकनीकी व भौतिक रूप से बंद है, उसका भौतिक सत्यापन नहीं करते हुए अवैध रूप से बाराबंदी को जारी कर रकबा सिंचित करवाया गया जिसके लिये विभागीय स्तर पर कोई जवाबदेही निर्धारित नहीं है। उक्त जवाईनहर प्रणाली से सिंचित क्षेत्र में गजट के अन्तर्गत विधि की अवहेलना होने पर लोक सुनवाई अधिकारी व अति0 जिला कलेक्टर जालोर के समक्ष परिवाद दिनांक 28.12.2020 को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात जिला कलेक्टर जालोर कार्यालय द्वारा अपने पत्रांक रा.सु.अधि/2021/44 दिनांक 14.01.2021 को लोक सुनवाई अधिकारी व अधि.अभियन्ता जवाईनहर खण्ड सुमेरपुर को नियम–5 के तहत अवतरित किया गया था।

6. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि लोक सुनवाई अधिकारी व अधि. अभियन्ता जवाईनहर खण्ड सुमेरपुर के द्वारा उक्त क्रम में पत्रांक का.स./रा.सु. अधि./2020–21/7114 दिनांक 16.03.2021 को निस्तारण करते हुए दर्शाया कि सम्भागीय आयुक्त जोधपुर /सक्षम स्तर से ताराबंदी से हटाने अर्थात तखतगढ

वितरिका आरडी. 70600 सीटी को पुनः बन्द कराने के आदेश प्राप्त नहीं होते तब तक उक्त व्यवस्था सम्भागीय आयुक्त जोधपुर के पत्रांक 984 दिनांक 5.11.2019 जो कि नवीनतम व अन्तिम था, की पालना सुनिश्चित की जा रही है।

7. अपीलान्ट का यह भी कथन है कि सम्भागीय आयुक्त जोधपुर के द्वारा प्रथम अपील संख्या 02/2020 में निर्णय दिनांक 8.9.2020 का आदेश नवीनतम व अन्तिम आदेश होने के उपरान्त भी मनमाने तरीके से जवाईनहर खण्ड सुमेरपुर द्वारा अमान्य कर विधि की अवहेलना लगातार की जाने से परिवाद में निर्णय अनुसार राहत नहीं मिल रही है। अतः सम्भागीय आयुक्त जोधपुर के द्वितीय अपील संख्या 01/2018 में निर्णय दिनांक 13.11.2018 व अपील संख्या 02/2020 निर्णय दिनांक 8.9.2020 के अनुसार अधीक्षण अभियन्ता के निर्णय दिनांक 26.2.2013 में तखतगढ वितरिका टेल आरडी 70600 से सिंचित क्षेत्र कवेल नहरी प्रथम व नहरी द्वितीय रखा जाने व उसी के अनुरूप टेल कलस्टर की डिजाईन संशोधित किये जाने का अभिलेखो में पालना कर लिया जाना जिसको लेकर अधि.अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता, जवाईनहर खण्ड सुमेरपुर को निर्देश पारित किये गये थे एवं निर्णय की पालना हेतु अधि.अभियन्ता, जल संसाधन वृत पाली को निर्देशित किया गया था, की अक्षरशः पालना तकनीकी व भौतिकी करवाने हेतु निर्देश पारित करावें।

8. प्रत्यर्थी विभाग रेस्पो0 संख्या एक की ओर से अपनी टिप्पणी में यह उल्लेख किया कि उपरोक्त अपील वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह भी उल्लेख किया कि सहायक अभियन्ता जवाई नहर सुमेरपुर के पत्र क्रमांक 161 दिनांक 17.6.13 द्वारा अधिक्षण अभियन्ता जल संसाधन विभाग पाली के निर्णय दिनांक 26.2.13 की पालना में तख्तगढ वितरिका आरडी 70600 टेल सी का रकबा आरडी 70600 टेल एल से जोडते हुए आरडी 70600 टेल सी को बन्द करते हुए पालना रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दी थी। वर्ष 2013–14 व 2014–15 में बांध में पर्याप्त पानी नहीं होने से सिचांई नहीं हुई। वर्ष 2015–16, 2016–17 व 2017–18 में सिचाई हुई। जिसमें सम्भागीय आयुक्त की अध्यक्षता में जल वितरण समिति में लिये गये निर्णय अनुसार जवाई कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई। एवं अध्यक्ष जल उपयोक्ता संगम संख्या 12 द्वारा गिरदावरी की जाकर खण्ड कार्यालय में सूचना प्रस्तुत की गई। गिरदावरी में सम्पूर्ण खसरों को

सम्मिलित करते हुए गिरदावरी/मांग प्रस्तुत की गई थी, इससे यह प्रतीत होता है कि संगम अध्यक्ष को किसी भी काश्तकार की कोई आपत्ति नहीं की गई। वर्ष 2018–19 में सिंचाई नहीं हुई।

9. वर्ष 2019–20 में सिंचाई हुई एवं सम्भागीय आयुक्त जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 11.10.19 को जल वितरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार वर्ष 2017–18 की बाराबंदी को आधार मानते हुए जल वितरण हेतु बाराबंदी जारी की गई। बैठक में नहर प्रणाली में तख्तगढ वितरिका आरडी 70600 टेल सी में खसरों के रकबों को जोडने हेतु कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई।

10. डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर की अपील संख्या 01/2018 में पारित विनिश्चिय दिनांक 13.11.18 की पालना करते हुए उखरडा गांव की बारानी किस्म की भूमि को वर्ष 2019–20 की प्रथम पाण की बाराबंदी से वंचित कर जल उपयोक्ता संगम अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित बाराबंदी सूचि जारी कर दी गई। जिस पर उखरडा गांव के काश्तकारों द्वारा सम्भागीय आयुक्त जोधपुर को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर उनके द्वारा पत्रांक 984 दिनांक 5.11.19 द्वारा निर्देशित किया गया कि जल वितरणसमिति की बैठक दिनांक 11.10.19 में लिये गये निर्णय अनुसार वर्ष 2017–18 की बाराबंदी को आधार मानते हुए उखरडा गांव की बारानी किस्म की भूमि को पूर्व की भांति इस वर्ष भी जल वितरण किया जाना सुनिश्चित करावें।

11. जल उपयोक्ता संगम–12 के पत्रांक 22–26 दिनांक 24.10.20 के क्रम में निवेदन है कि प्रतिवर्ष सिंचाई से पूर्व जवाई बांध की सभी नहरों का तकनीकी एवं भौतिक सत्यापन, मरम्मत इत्यादि का कार्य सम्पादित किया जाता है जो कि एक नियमित प्रक्रिया है। सम्भागीय आयुक्त जोधपुर की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों अनुसार ही सिंचाई जल वितरित किया जाता है। सिंचित क्षेत्र के बाहर की किसी भूमि का या अनकमाण्ड भूमि को सिंचाई सुविधा नहीं दी जाती है। अतः अधीक्षण अभियन्ता जव संसाधन वृत पाली के निर्णय दिनांक 26.2.13 की प्रभावशीलता नहीं रहती है। इसके अतिरिक्त उखरडा गांव की बारानी भूमि में विगत वर्षो से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती रही है। साथ ही अवैध रूप से पानी दोहन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने का

दायित्व संगम अध्यक्ष का ही बनता है जिसके लिये गिरदावरी के पश्चात मांग कायमी के समय तावानी कार्यवाही/जुर्माना लगाये के लिये स्वतंत्र है।

12. अपीलान्ट द्वारा लोक सुनवाई अधिकारी व अति0 जिला कलेक्टर जालोर के समक्ष प्रस्तुत परिवाद अधिशाषी अभियन्ता को अंतरित किया गया जिस पर अपीलान्ट की सुनवाई की जाकर प्रतिउत्तर/निर्णय जरिये पत्रांक 7112–14 दिनांक 16.03.21 के द्वारा जिला कलेक्टर जालोर को प्रेषित किया गया व प्रति वृत–पाली कार्यालय एवं अपीलान्ट को प्रेषित की गई। उसके उपरान्त अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपील जिला कलेक्टर, जालोर के समक्ष पेश की। जिला कलेक्टर जालोर द्वारा अपीलान्ट के परिवाद को अन्तरित करने को धारा 03 राज0 सुनवाई अधिकार अधिनियम 2012 सपठित सुनवाई का अधिकार नियम 2012 के नियम 5 के उचित मानते हुए अपीलान्ट की प्रथम अपील को दिनांक 15.06.2021 को खारिज कर दी गई जो उचित है। साथ ही अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील में विधि की अवहेलना, विभागीय स्तर पर कोई जवाबदेही, विधि विरूद्ध नहरी पानी का दोहन करने वाले के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने, मनमाने तरीके से विधि की अवहेलना का कथन सही व उचित नहीं होने से अपील खारिज की जावें।

13. हमने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील एवं अधिशाषी अभियन्ता, एवं लोक सुनवाई अधिकारी, जवाई नहर खण्ड, जलसंसाधन विभाग, सुमेरपुर जिला पाली की टिप्पणी, अन्य उपलब्ध दस्तावेजों इत्यादि का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। द्वितीय अपील में अपीलान्ट के द्वारा उनके पूर्व प्रस्तुत परिवाद के समस्त तथ्यों को एवं जिला कलेक्टर जालोर के निर्णय का पुनः उल्लेख किया है साथ ही जल संसाधन विभाग की ओर से सम्पादित कार्यवाहियों इत्यादि का उल्लेख किया है।

14. अपीलान्ट के द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलेक्टर जालोर के द्वारा उनकी प्रथम अपील जिसमें लोक सुनवाई अधिकारी अति0 जिला कलेक्टर जालोर के द्वारा उनके परिवाद को अधिशाषी अभियन्ता, जवाई नहर खण्ड सुमेरपुर को अन्तरित किये जाने को राज0 सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 की धारा 3 सपठित धारा 5 के तहत उचित मानते हुए तथा अन्तरित किये गये परिवाद पर अधिशाषी अभियन्ता, जवाई नहर खण्ड सुमेरपुर के द्वारा परिवादी/

अपीलान्ट को दिनांक 16.03.2021 को सुनवाई कर लिये जाने के कारण उनकी प्रथम अपील दिनांक 15.06.2021 को खारिज कर दी गई है। हमारे विनम्र मत में जिला कलेक्टर जालोर द्वारा राज0 सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के तहत दिये गये प्रावधानों के आधार पर अपीलान्ट की प्रथम अपील को खारिज किया गया है उससे यह द्वितीय अपीलीय न्यायालय पूर्णतया सहमत है।

15. साथ ही लोक सुनवाई अधिकारी अधिशाषी अभियन्ता, जवाई नहर खण्ड जल संसाधन विभाग सुमेरपुर के इन कथनों से भी सहमत है कि जवाई बांध से प्रतिवर्ष सिंचाई से पूर्व जवाई बांध की सभी नहरों का तकनीकी एवं भौतिक सत्यापन, मरम्मत इत्यादि का कार्य सम्पादित किया जाता है जो कि एक नियमित प्रक्रिया है। सम्भागीय आयुक्त जोधपुर की अध्यक्षता वाली जल वितरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों अनुसार ही सिंचाई जल वितरित किया जाता है। सिंचित क्षेत्र के बाहर की किसी भूमि का या अनकमाण्ड भूमि को सिंचाई सुविधा नहीं दी जाती है। अवैध रूप से पानी दोहन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने का दायित्व जल उपयोक्ता संगम अध्यक्ष का ही बनता है जिसके लिये गिरदावरी के पश्चात मांग कायमी के समय तावानी कार्यवाही/जुर्माना लगाये के लिये स्वतंत्र है।

16. इस प्रकार अपीलान्ट की द्वितीय अपील सारहीन होने से व आधारहीन होने से खारिज की जाती है तथा जिला कलेक्टर जालोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.06.2021 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 07.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर